पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 21/2022 (जी सी एम एस नम्बर 2022/38)
उनवानी प्रकरण :–

कालीचरन उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र काशीराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला कस्बा मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर ----------अपीलान्ट

बनाम्

1–हरीनिवास पुत्र रम्भू / समस्त जाति कोली
2–मेमो पत्नी बबलू / निवासी कोली मौहल्ला मंनिया
3–दिलीप पुत्र मोहनलाल / तहसील मंनिया जिला धौलपुर
2–तहसीलदार मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर -----रेस्पोडेण्टस

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अपील विरूद्व नामान्तकरण सं0 3509 ग्राम मंनिया
आदेश दिनांक 15.07.2017 तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या–1की ओर से :– श्री इन्द्रपालसिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 13.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि खसरा नम्बर 857 रकवा 01 वीघा 13 विस्वा वाके मंनिया जिला धौलपुर के अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगा03 सह–खातेदार काश्तकार रहे। विवादित आराजी में अपीलान्ट 8/33 भाग का, रेस्पो0संख्या–1 7/33 भाग का, रेस्पो0संख्या–2 16/33 भाग का तथा रेस्पो0सं03 2/33 भाग के सहखातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी रहे। अपीलान्ट ने एक दावा उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास मुकद्वमा नम्बर 22/2016 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.05.2017 को अपीलान्ट पर रेस्पोडेन्टस स्वंय उसके ऐजेन्टो के द्वारा नाजायज दवाब बनाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प मंनिया में बिना बिना स्वतंत्र सहमति के विड्रो करा लिया। उक्त दावे में अपीलान्ट के हस्ताक्षर रेस्पोडेन्टस एवं उनके दबंग ऐजेन्टो ने थाने में बिठाकर खाले कागजों पर कराये थे जिनका उपयोग दावा विड्रो के लिये किया गया तथा रेस्पो0संख्या 4 ने आक्षेपित नामान्तकरण रेस्पो0संख्या 1 लगा03 से दुरभिसंधि कर अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना सहमति विभाजन का आधार लेते हुये तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट को सर्वप्रथम नहीं रही। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस धमकी देते रहे कि उन्होने बटवारा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार से मिलकर करा लिया है लेकिन आक्षेपित नामान्तकरण की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई। जिस पर अपीलान्ट ने एक दावा कालीचरन बनाम मेमो न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में पुनः प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने दिनांक 18.04.2022 को धारा 11 सी.पी.सी. का अविलम्ब लेते हुए खारिज कर दिया। तब अपीलान्ट ने पुनः तहसील मंनिया में विनय किया कि मेरा वंटवारा कैसे कर दिया है उसकी नकल दे दो तब अपीलान्ट ने एक आवेदन तहसील मंनिया में दिनांक 11.05.22 को दिया जिसकी नकल दिनांक 10.06.2022 को अपीलान्ट को दी है। तब असिलियत की अपीलान्ट को पता चली है। प्रथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। इसलिये अपीलान्ट जानकारी से आक्षेपित नामान्तकरण से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट की ओर से विभाजन हेतु कोई स्वतन्त्र सहमति नहीं दी है ना ही स्वतन्त्र सहमति तहरीर की है। आक्षेपित नामान्तकरण मे सहमति विभाजन की कोई दिनांक, महीना, सन अंकित नहीं की गई है ना ही किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का विवरण अंकित किया है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्व है। आक्षेपित नामान्तकरण में आदेश नायब तहसीलदार मंनिया का हवाला दिया है लेकिन उस आदेश का कोई विवरण आदेश क्रमांक दिनांक अंकित नहीं किया है। आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया है ना ही सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण पर नजरी नक्शा रिकार्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत कसीद किया गया है। सहमति विभाजन की पालना में मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया है ना ही विभाजन वाई मीटस वाउण्डस किया गया है। मौके पर अपीलान्ट जिस प्रकार से काबिज है कब्जा का ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 3509 दिनांक 15.07.2017 वांके ग्राम मंनिया पेश किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगा0 3 की ओर से श्री इन्द्रपालसिंह जादौन एडवोकेट एवं रेस्पो संख्या–4 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम उप अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या–1लगा03 ने अपने कथनों के समर्थन में फोटोप्रति एफ.आई. आर.न0462/17, फोटोप्रति ऑडरशीट दिनांक 11.5.2017, राजीनामा आवेदन पत्र कालीचरन

जिला कलक्टर
धौलपुर

बनाम हरिनिवास, फोटोप्रति वादपत्र कालीचरन बनाम हरिनिवास, फोटोप्रति आदेश दिनांक 18.4.2022 कालीचरन बनाम मैमो, फोटोप्रति वादपत्र कालीचरन बनाम मैमो, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 दिनांक 7.12.2020, फोटोप्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी, फोटोप्रति कुर्रेजात, नक्शा अक्श पेश किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी रहे है। अपीलान्ट ने एक दावा उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास मुकद्दमा नम्बर 22/2016 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.05.2017 को अपीलान्ट पर रेस्पोडेन्टस स्वंय उसके ऐजेन्टो के द्वारा नाजायज दवाब बनाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प मंनिया में बिना स्वतंत्र सहमति के विड्रो करा लिया। उक्त दावे में अपीलान्ट के हस्ताक्षर रेस्पोडेन्टस एवं उनके दबंग ऐजेन्टो ने थाने में बिठाकर खाली कागजों पर कराये थे जिनका उपयोग दावा विड्रो के लिये किया गया। रेस्पो0संख्या 4 ने आक्षेपित नामान्तकरण रेस्पो0संख्या 1 लगा03 से दुरभिसंधि कर अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना सहमति विभाजन का आधार लेते हुये तरदीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम नहीं रही। आक्षेपित नामान्तकरण की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई। जिस पर अपीलान्ट ने एक दावा कालीचरन बनाम मेमो न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में पुनः प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने दिनांक 18.04.2022 को धारा 11 सी.पी.सी. का अविलम्ब लेते हुए खारिज कर दिया। अपीलान्ट की ओर से विभाजन हेतु कोई स्वतन्त्र सहमति नहीं दी है ना ही स्वतन्त्र सहमति तहरीर की है। विवादित आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी में कभी नहीं हुआ। आक्षेपित नामान्तकरण मे सहमति विभाजन की कोई दिनांक, महीना, सन अंकित नहीं की गई है ना ही किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का विवरण अंकित किया है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्व है। आक्षेपित नामान्तकरण में आदेश नायब तहसीलदार मंनिया का हवाला दिया है लेकिन उस आदेश का कोई विवरण आदेश कमांक दिनांक अंकित नहीं किया है। आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया है ना ही सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण पर नजरी नक्शा रिकार्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत कसीद किया गया है। मौके पर अपीलान्ट जिस प्रकार से काबिज है कब्जा का ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2017(2) पेज 1104 एवं आर आर टी 2022(2) पेज 1137 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तकर निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1लगा03 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 22/2016 उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास प्रस्तुत किया जो राजस्व कैम्प लोक अदालत कैम्प मनिंया में राजीनामा के आधार पर फैसल हुआ। राजीनामा के आधार पर फैसल कर विवादित आराजी के नम्बर अलग अलग कायम हुए। नक्शे कुर्रेजात पर अपीलान्ट कालीचरन के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट द्वारा बटवारा कराने के उपरान्त उसने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर एक वाद पुनः विवादित आराजी का कालीचरन बनाम मैमो के नाम से दायर किया गया जो दिनांक 17.04.2022 को समान पक्षकार, समान आराजी व समान अनुतोष होने के कारण एवं पूर्ववर्ती दावे में राजीनामा व सहमति के आधार अपीलान्ट ने अपना दावा विड्रो किया। अपलान्ट का दावा खारिज फरमा

जिला कलक्टर
धौलपुर

दिया गया। उपरोक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट सहखातेदार काशकार नहीं है। बहस के दौरान यह भी कथन किया कि संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न नक्शा में उत्तर दक्षिण दिशा का सहवन से गलत अंकन हो गया है जिसे शुद्व कराने के लिये तहसीलदार मंनिया के समक्ष प्रथक से कार्यवाही की जा रही है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का राजस्व रिकार्ड में जितना हिस्सा है उतने ही हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि का विभाजन एवं नम्बर अलग अलग होने के बाद अपने हिस्से में मकान बना लिया है। आक्षेपित नामान्तकरण में कोई त्रृटि नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 3509 दिनांक 15.07.2017 वांके ग्राम मंनिया के विरूद्व पेश की है। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी में कभी नहीं हुआ लेकिन रेस्पो0संख्या–2 तहसीलदार ने विवादित आराजी के खाते राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक कर दिये है जबकि उपरोक्त आराजी के बावत दावा बंटवारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर में उनवानी कालीचरन बनाम मैमो विचाराधीन है। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध नकल कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 22/2016 उनवानी कालीचरन बनाम हरिनिवास प्रस्तुत किया जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर मंनिया में राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा का बटवारा वाई मीटस एण्ड बाउन्ड मौके पर काबिज अनुसार बटवारा किया जाकर फैसल हुआ है। प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है उस पर अपीलान्ट कालीचरन एवं अन्य पक्षकारों के हस्ताक्षर हो रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2073–76 ग्राम मंनिया का अवलोकन किया गया जिसमें लाल स्याही से नामान्तकरण संख्या 3509 दिनांक 15.07.2017 सहमति से विभाजन का अंकन हो रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन के बाद विवादित आराजी के नम्बर अलग अलग पक्षकारों के नाम कायम हुए है तथा विभाजन अनुसार नक्शे में तरमीम हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का कोई बंटवारा विधिवत अपीलान्ट की जानकारी के बिना हुआ है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस का बहस में यह कथन है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का राजस्व रिकार्ड में जितना हिस्सा है उतने ही हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से में मकान बना लिया है। प्रकरण में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी का बटवारा होने अलग अलग नम्बर कायम होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में भूमि संपरिवर्तन आदेश भी जारी किये जा चुके है। इस प्रकार आक्षेपित नामान्तकरण में हम किसी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं पाते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर